International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8
IJSH 2023; 5(1): 23-25
www.sociologyjournal.net
Received: 14-02-2023
Accepted: 23-03-2023

शोभा कुमारी
MA Sociology, डुमरी, श्रीरामपुर, अशोक पेपर मील, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
शोभा कुमारी
MA Sociology, डुमरी, श्रीरामपुर, अशोक पेपर मील, दरभंगा, बिहार, भारत

भारत में बाल श्रम के कारण एवं दूर करने के उपाय

शोभा कुमारी

DOI: https://doi.org/10.33545/26648679.2023.v5.i1a.38

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के लिए बच्चे नए फूल की शक्तिशाली खुशबू की तरह होते हैं जबकि कुछ लोग थोड़े पैसे के लिए गैर–कानूनी तरीके से इन बच्चों को बाल मजदूरी के कुएँ में धकेल देते हैं साथ ही देश का भविष्य भी बिगाड़ देते हैं। देश की आजादी के बाद इसको जड़ से उखाड़ने के लिए कई सारे नियम–कानून बनाए गए लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। भारत में 1997 ई0 में देश की जनता और व्यवस्था दोनों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण था क्योंकि हम सभी भारतवासी अपनी अमूल आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे थे। अब हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे में अब जरूरी है कि हम पीछे मुड़कर देखें कि 70–75 वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया। यहाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में उन्नति – अवनति पर विस्तार से चर्चा . किए बिना भारतीय समाज रूपी उद्यान के बालक रूपी फूल और बालिका रूपी कलियों की खिलखिलाहट अथवा मुडझाहट पर एक नजर तो डाल ही सकते है। भारत में बाल मजदूरी की समस्या अत्यन्त जटिल है। यह एक वैश्विक समस्या है जो विकाशील देशों में बेहद आम बात है। भारत में जितने बाल मजदूर है, उतने विश्व के अन्य देशों में नहीं है। फिर भी भारत में कुल बाल मजदूर यहाँ की पूरी आबादी के 5.2 प्रतिशत, तुर्की में 27.3 प्रतिशत, थाईलैण्ड में 20.9 प्रतिशत, बंगलादेश में 19.5 प्रतिशत, ब्राजील में 18.8 प्रतिशत, पाकिस्तान में 16.6 प्रतिशत, इण्डोनेशिया में 12.4 प्रतिशत, मास्को में 11.5 प्रतिशत, मिस्त्र में 8.2 प्रतिशत, अर्जेंटिना में 6.6 प्रतिशत और श्रीलंका में मात्र 4. 9 प्रतिशत है।

बाल श्रम के कारण बाल श्रम के निम्न कारण है

1. ग्रीवी
2. प्रशासनिक ढीलापन
3. माता–पिता का अशिक्षित होना
4. बेरोजगारी
5. नियम की अवहेलना
6. बाल–विवाह
7. अशिक्षा

गरीबी भयंकर गरीबी की वजह से हमारे देश में बाल मजदूरी की उच्च दर अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक है जिसमें 5 से 14 साल तक के बच्चे काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की दर सबसे उच्च है जो अधिकतर ग्रामीण और अनियमित शहरी अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है जहाँ कि अधिकतर बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने और स्कूल भेजने के बजाय प्रमुखता से अपने माता–पिता के द्वारा कृषि कार्यों में लगाये गए हैं।

प्रशासनिक ढीलपन : हमारे देश में प्रशासनिक ढीलापन भी बाल श्रम के लिए रू जिम्मेदार है। इन सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब परिवार होता है उनके बच्चों के लिए पढना एक सपना होता है। जबकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 24के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी फैक्ट्री अथवा खान में नोकरी नहीं दी जाएगी। इस संबंध में भारतीय विधायिका ने फैक्ट्री एक्ट, 1948 एवं चिल्ड्रेन एक्ट, 1960 में भी उपबंध किए है।

माता–पिता के अशिक्षित होना : भारत में बच्चों के माता–पिता का अशिक्षित होना भी बाल श्रम के एक प्रमुख कारण है। बच्चों के स्वस्थ विकास और वृद्धि के लिए एक सुरक्षित और सुखी परिवार के माहोल की आवश्यकता होती है। माता–पिता के अशिक्षित होने के कारण वह अपने बच्चे की सीखने की अक्षमताओं की पहचान करने में असमर्थ हो जाते है।

बेराजगारी : कई देशों में गैर सरकारी अध्ययनों से पता चला है कि बाल मजदूरी करने वाले बच्चे बेरोजगार लोगों की ही संतान होती है। बेरोजगारी और बाल मजदूरी में एक गहरा संबंध है। इसके अंतरसंबंधों को समझने के लिए जरा बाल मजदूरी और बेरोजगारी के आंकड़ों पर गौर करते है। दुनियाँ में करीब 16.8 करोड़ बच्चों बाल मजदूरी करते हैं, जबकि बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 20 करोड़ हैं। इसी तरह से भारत में गैर सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, तकरीबन 5 करोड़ बाल मजदूर हैं और तकरीबन इतनी ही संख्या बेरोजगारों की भी है।

नियम की अवहेलना : बाल मजदूरी को रोकने के लिए जो कड़े कानून बनाए गए है, उसकी अवहेलना हाती है। यह बहुत ही दुर्भागपूर्ण बात है कि आज भी भारत में पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी अपने काम के लिए बाल मजदूरी की प्रयोग सबसे ज्यादा करते है। अक्सर हम देखते है कि गरीब तबके के बच्चा जिस उम्र में उसके हाथ में खिलौने और किताबे होनी चाहिए उस हाथ में वो किसी होटल के जुट्ठे बर्तन की सफाई या किसी के दुकान पर हाथ में लिए झाड़ू लगाते नजर आता है और हम और आप उसे देखकर भी नजर अंदाज कर देते है।

बाल–विवाह : बाल–विवाह केवल भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में होते आए है और समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान हैं। सम्पूर्ण भारत में विश्व के 40 प्रतिशत बाल विवाह होते है और समूचे भारत में 49 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। भारत में, बाल–विवाह केरल राज्य, जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, में अब भी प्रचलन में हैं। यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय बाल आपात निधि) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल–विवाह होते है आँकड़ों के अनुसार, बिहार में सबसे अधिक 68 प्रतिशत बाल–विवाह की घटनाएँ होती है। जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 9 प्रतिशत बाल–विवाह होते है। अतः बाल–विवाह बाल मजदूरी का एक महत्त्वपूर्ण कारण है।

अशिक्षा : हमारे देश भारत में बाल मजदूरी के एक प्रमुख कारण है कि यहाँ के अधिकांश बच्चों का अशिक्षित होना। जबकि हमारे संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निदेशक तत्त्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। सन् 1948 ई0 में डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिसके तहत 6–14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आवश्यक है।

बाल मजदूर रोकने के उपाय बाल मजदूरी रोकने के निम्नलिखित उपाय है

1. गरीबी दूर करना
2. शिक्षा की व्यवस्था करना
3. समाज को जागृत करना
4. बाल–विवाह को रोकना
5. कड़े कानून की आवश्यकता
6. शिक्षकों की कमी को दूर करना
7. माता–पिता के परवरिश की जरूरत
8. गैर सरकारी तबकों का सहयोग

1. **गरीबी दूर करना :** बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए गरीबी को दूर करना जरूरी है। सरकार के साथ ही आम जनता की भी सहभागिता की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति अगर ऐसे एक बच्चे की भी जिम्मेदारी लेने लगे तो सारा परिदृश्य ही बदल जाएगा। अगर हम सब मिलकर हमने कुछ प्रयास किए तो फिर कोई मासूम बच्चा भूखा नहीं सोएगा।
2. **शिक्षा की व्यवस्था करना :** भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निदेशक तत्त्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए नवम्बर 2001 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया जिसका उद्येश्य था प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुँचाना। इस अभियान का उद्येश्य सन् 2010 तक सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराना विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना। नई शिक्षा निति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक तीन से छह वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क, सुरक्षितः उच्च गुणवता पूर्ण और विकास के लिए उपयुक्त देखरेख और शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य है। अतः बाल श्रम को रोकने के लिए उत्तम शिक्षण व्यवस्था की परम आवश्यकता है।
3. **समाज को जागृत करना** : बाल मजदूरी को दूर करने और रोकने के लिए पूरे विश्वभर में मुहिम छिड़ चुका है। बाल मजदूरी किसी भी देश के समाज के लिए एक अभिशाप बन गया है क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। बाल श्रम एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण आज विश्व में कई देश विकसित नहीं हो पा रहा है। अतः इसे दूर करने के लिए समाज को जागरूक करना होगा।
4. **बाल विवाह को रोकना** : बाल श्रम को रोकने के लिए बाल–विवाह को रोकना जरूरी है। भारत में 1 नवम्बर 2007 को बाल–विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ 1 अक्टूबर 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बाल वधू के साथ यौन अपराधीकरण के बारे में एक निर्णायक निर्णय दिया। इसलिए भारत के अपराधिक न्यायशास्त्र में एक अपवाद को हटा दिया जो तब तक उन पुरुषों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता था जिन्होंने अपनी छोटी (कम उम्र) पत्नियों के साथ बालात्कार किया था।
5. **कड़े कानून की आवश्यकता :** बाल मजदूरी के लिए मजबूत तथा कड़े कानून की आवश्यकता है। जिससे कोई भी बाल मजदूरी करवाने से डरे आज भी कई प्रकार के नए नियम और कानून निकलने पर भी बाल मजदूरी भारत में कई छोटे व्यापार, होटल, साफ–सफाई दुकानों में हो रहा है। अतः इससे स्पष्ट है कि इसे रोकने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है।
6. **शिक्षकों की कमी को दूर करना** : विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर बिहार के खगड़िया जिला के चौथम प्रखंड स्थित बोरा कोठी मध्य विद्यालय में जवाहर नगर में छात्रों व अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्रों का कहना था कि पहली से आठवीं कक्षा के 333 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 4 शिक्षक हैं। जिसमें से एक शिक्षक कभी–कभार आते है। जो आते भी है वे पठन–पाठन में रूचि नहीं लेते है। अतः बाल मजदूरी रोकने के लिए विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करना अति आवश्यक है।
7. **माता–पिता की परवरिश की जरूरत** : माता–पिता अपने बच्चों को परिवार के प्रति बचपन से ही जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं समझते कि उनके बच्चों को प्यार और परवरिश की जरूरत होती है। उन्हें नियमित स्कूल जाने तथा अच्छी तरह से बड़ा होने के लिये दोस्तों के साथ खेलने की जरूरत है। बच्चों से काम कराने वाले माँ–बाप सोचते है कि बच्चे उनके जागीर होते है और वो उन्हें अपने

हिसाब से इस्तेमाल करते है। वास्तव में हर माता–पिता को ये समझना चाहिए कि देश के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारी है। देश को भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए उन्हें अपने बच्चों को हर तरह से स्वस्थ बनाना चाहिए।

8. **गैर सरकारी तबकों का सहयोग** : सिर्फ सरकारी तंत्र द्वारा बाल मजदूरी को रू रोकना संभव नहीं है। स्वंयसेवी संस्थाओं, राजनीतिक दलों, श्रम संगठनों, शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं लेखक संगठनों, संस्कृति कर्मियों, कर्मचारी संघों और पंचायतों आदि का भी सहयोग लिया जाना आवश्यक है। इसलिए इन क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए जो निष्ठापूर्वक इस कार्य को पूरा करने में सहयोग कर सके। इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाल–श्रमिक प्रोजेक्ट सोसाइटी का गठन किया जाना चाहिए जो स्थानीय परिस्थितियों के आलोक में उस क्षेत्र में लगे बाल–श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट तैयार करें तथा उसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवन करें।

संदर्भ

1. चाइल्ड लेबर एक्ट–1986.
2. संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय बाल आपात नीधि की रिपोर्ट
3. राष्ट्रीय शिक्षा–निति 1986 से नई शिक्षा–निति 2019.
4. विभिन्न राज्यों के भ्रमन एवं साक्षात्कार से प्राप्त रिपोर्ट
5. बाल–विवाह निषेध अधिनियम–2006.
6. प्रभात खबर समाचार पत्र 29 अगस्त 2019.